न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 81/2015
वादी :–

1. श्रवणलाल पुत्र नारायणराम जाति देवासी निवासी ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. नारायणराम पुत्र लाबूराम जाति राईका निवासी ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
2. रामनिवास पुत्र नारायणराम जाति राईका निवासी ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
3. भाकरराम पुत्र लाबूराम जाति राईका निवासी ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
4. देवाराम पुत्र गुणाराम जाति राईका निवासी ग्रम खेजडला तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
5. सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

उपस्थिति :– वादी – श्री डी डी रामावत, अधिवक्ता।
प्रतिवादी संख्या– 1 से 4 – श्री धीरज चौधरी, श्री ए के पटेल अधिवक्ता,
प्रतिवादी संख्या – 5 सरकारी पैरोकार।

निर्णय दिनांक :– 7/10/25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा नं. 618/1 रकबा 16 बिस्वा व खसरा नंबर 624 रकबा 4 बीघा कुल खसरा 2 कुल रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा स्थित है। उक्त भूमि जिसे वाद के बकाया पदों में वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। वर्तमान में ग्राम हरियाढाणा के खाता सं. 386 पक्षकारान के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जिसकी ताईद में जमाबंदी की सत्यप्रति वाद पत्र के साथ पेश है। वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1व 2 की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी की कब्जासुदा भूमि है। सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि पक्षकारान वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1व 2 की पुश्तैनी सहखातेदारी की भूमि है। वादी श्रवणलाल एवं प्रतिवादी सं. 2 रामनिवास प्रतिवादी सं. 1 नारायणराम के जायन्दा पुत्रगण है तथा वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि पूर्व में वादी के दादा स्व. लाबूराम के नाम से खातेदारी की कब्जासुदा भूमि थी जिनकी वंशावली पद सं. 2 में वर्णित है। वादग्रस्त जमीन पर वादी के दादा स्व. लाबूराम आजीवन काबिज रहे तथा उनके मरणोपरान्त प्रतिवादी सं0 1 व उसके अन्य भाई वादग्रस्त भूमि पर काबिज है जिन्होने कालान्तर में बंटवाडा कर लिया तथा वादग्रस्त भूमि वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 ने जरिये बंटवाडा हासिल की है। यहां यह दर्शाना लाजमी है कि वादी तथा प्रतिवादी सं. 2 स्वर्गीय लाबूराम के प्रथम श्रेणी के वारिस होने से वादग्रस्त भूमि उनके नाम राजस्व

सहायक कलक्टर
उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

रेकर्ड में दर्ज की जानी चाहिये थी लेकिन त्रुटिवश सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में महज प्रतिवादी सं. 1 अकेले के नाम दर्ज कर ली गई तदनुसार राजस्व रेकर्ड में स्वर्गीय लाबूराम के अन्य वारिस पौत्रगण वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होना चाहिये था जबकि उनका नाम वादग्रस्त जमीन में नहीं दर्ज किया गया जबकि वे वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार है एवं स्वर्गीय लाबूराम के प्रथम श्रेणी की वारिस है दोषपूर्ण राजस्व रेकर्ड की आड में प्रतिवादी सं. 1 ने स्वयं को वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि का एकमात्र खातेदार दर्शाकर वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि को वादी को उसके हक हिस्से की पुश्तैनी भूमि से हमेशा के लिये बेदखल करने की नियत से इसका बख्शीनामा प्रतिवादी सं. 2 रामनिवास को कर दिया तथा इसी आड में प्रतिवादी सं. 2 राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने पर आमादा है। जबकि प्रतिवादी सं. 1 का वादग्रस्त भूमि में 1/3 हिस्सा निहित है। तथा शेष 1/3 हिस्सा वादी एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 का है इसी अनुसार वह काबिज है। हिस्से से अधिक अन्तरण/बख्शीश कब्जे के अभाव में कानूनन शून्य है। तथा वादी के हितों के विरूद्ध सर्वथा बेअसर है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादी स्वयं को 1/3 हिस्सा का सहखातेदार घोषित करवाने का विधिक रूप से हकदार है। वादग्रस्त भूमि पर वादी बतौर सहखातेदार काबिज रह कर लगान की अदायगी करता आया है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा गैर कानूनी ढंग से दिनांक 30.9.2015 को प्रतिवादी सं. 2 को वादग्रस्त भूमि का बख्शीश किया जो वादी के हितों के विरूद्ध सर्वथा बेअसर है। तथा कानूनन शून्य है। वादी बतौर सहखातेदार वादग्रस्त भूमिप र काबिज है। जिसकी प्रतिवादीगण को शुरू से जानकारी रही है। इसके उपरान्त उन्होने दोषपूर्ण राजस्व रेकर्ड की आड में अपने हिस्से से अधिक जमीन साजसीतौर पर आपस में दुरभिसन्धी कर बख्शीश कर दी। जिसमें प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 बराबर दोषी है। ऐसा करने का उसे कतई अधिकार नहीं है। दोषपूर्ण राजस्व रेकर्ड एवं उसके आधार पर किये गये सम्पूर्ण अन्तरण/इन्द्राज वादी के हितों के विरूद्ध सर्वथा बेअसर एवं शून्य है। जबकि मौके पर पक्षकारान आज भी बतौर सहखातेदार काबिज है उक्त बख्शीनामा के आधार पर प्रतिवादी सं. 2 नाहक सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है चूंकि प्रतिवादी सं. 1 को बख्शीश करने हेतु उसके पास कोई भूमि कब्जे व अधिकार में नहीं रही। इसके उपरान्त उन्होंने प्रतिवादी सं. 1 से 4 से साथ सांठगांठ कर फर्जी बख्शीश कर दिया जिसके आधार पर प्रतिवादी सं. 2 को कतई कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता तथा उक्त बख्शीशनामा सम्पति अन्तरण अधिनियम के प्रावधान माफिक वादी के हितों के विरूद्ध बेअसर व शून्य है। उसके उपरान्त प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में शून्य बख्शीशनामा के आधार पर राजस्व रेकर्ड में रदोबदल कर प्रतिवादीगण कीमती जमीन हडपने की फिराक में है जिसका जानकारी वादी हाल ही राजस्व रेकर्ड की नकले लेने पर हुई है इस पर वादी ने राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती हेतु प्रतिवादीगण से सुलह करना चाहा एवं उन्हें वादी के संयुक्त रूप 1/3 हिस्से की भूमि को उनके नाम अलग बंटवाडा मे

सहायक कलक्टर
उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

देने का कहा जिस पर दिनांक 05.10.2015 को प्रतिवादीगण ने ऐलानिया इंकार कर दिया तथा उन्होंने हर हाल में जमीन पर वादी को काश्त नहीं करने हेतु धमकाया जिस पर वाद कारण वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 05.10.2015 को बमुकाम हरियाणा उत्पन्न हुआ जो सतत जारी है तथा इसी बिनाय पर वादी की ओर से वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण पेश है।

अतः वादपत्र पेश कर प्रार्थना वादी है कि सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि का वादी को 1/3 हिस्सा का सहखातेदार घोषित किया जाकर उनके हिस्से की जमीन माप एवं सीमाकंन के आधार पर अलग बंटवाडे में प्रदान करने की डिक्री जारी की जावें तदनुसार राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम दर्ज करने हेतु प्रतिवादी सं. 5 को आदेशित किया जावे तथा बंटसुदा भूमि में किसी भी रीति से दखल नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द किया जावें। खर्चा हर्जा वाद वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें अन्य अनुतोष जो वादी के हक में प्रदान किया जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से श्री धीरज चौधरी, श्री अशोक कुमार पटेल अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से प्रारम्भिक आपतिर्या पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण के वादग्रस्त भूमि का बंटवाडा दिनांक 16.12.2010 को हो चुका है इसलिए उक्त वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी भूमि होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, इसलिए वादी का पूर्व में बंटवाडा हो जाने से प्रारम्भिक स्थिर से ही खारिज किये जाने योग्य है। धारा 88 आर टी एक्ट के अन्तर्गत वही व्यक्ति वाद प्रस्तुत कर सकता है जिसका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने के समय अर्थात सन् 1955 में बहैसीयत कब्जा हो वादी ने वाद पत्र के साथ ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि वादी का दिनांक 19.10.1955 को वादग्रस्त जमीन पर बहैसीयत टीनेन्ट कब्जा था वादी का वाद इस कारण से प्रारम्भिक स्टेज पर ही आदेश 7 नियम 11 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत खारिज किये जाने योग्य है। कानूनी स्थिति अत्यन्त स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति जब तक दिनांक 19.10.1955 को बहैसीयत टिनेन्ट कब्जा साबित नहीं कर देता उसके पक्ष में खातेदारी अधिकार न तो निहित हो सकते है न ही घोषित किये जा सकते है धारा 188 आर टी एक्ट के अन्तर्गत वाद को टीनेन्ट ही प्रस्तुत कर सकता है. वादी वादग्रस्त कृषि भूमि का टीनेन्ट नहीं है न ही वादी का वादग्रस्त भूमि पर कानूनी अथवा वास्तविक कब्जा है अत वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट भी आदेश 7 नियम 11 दीवानी प्रक्रिया सहिता के अन्तर्गत खारिज किये जाने योग्य है। वादी ने उक्त वाद में घोषणा का वाद वादग्रस्त भूमि बाबत प्रस्तुत किया है, जबकि उक्त वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी नारायणराम द्वारा जरिये बक्शीशनामा के रामनिवास के पक्ष में दिनांक 30.09.

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

2015 को कर दी गई है इसलिए वादी द्वारा उक्त बक्शीशनामा को निरस्त करवाये बिना वादी का उक्त वाद कानूनी रूप से चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। वादी ने स्व. लाबुराम के विधिक वारिशान कानाराम, व जीयाराम जो आवश्यक पक्षकार है, जिनको प्रार्थी ने जानबुझकर पक्षकार नहीं बनाया है, इस कारण से प्रारम्भिक स्टेज पर ही प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। उक्त वाद में वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 04 देवाराम को बिना वजह पक्षकार बनाया है. जबकि देवाराम न तो स्व. लाबुराम के विधिक वारिशान है, ओर न ही देवाराम वादग्रस्त भूमि में खातेदार है, इसके कारण से प्रारम्भिक स्टेज पर ही प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

प्रतिवादीगण का जवाबदावा के तथ्य इस प्रकार है कि वाद पत्र के पद संख्या 1 में लिखे खसरा नम्बर 618/1 रकबा 16 बिस्वा व खसरा नम्बर 624 रकबा 4 बीघा की भूमि ग्राम हरियाढाणा की राजस्व सीमा में स्थित है उक्त वाक्यात सही है, उक्त खसरान की भूमि बाबत मौके पर कोई विवाद विद्धयमान नहीं है। वादग्रस्त खसरान की भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी कब्जासुदा भूमि है, उक्त वाक्यात गलत व मिथ्या होने से अस्वीकार है। यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि उक्त खसरान की भूमि प्रतिवादीगण संख्या 2 रामनिवास ने जरिये बक्शीनामा के प्राप्त हुई है व प्रतिवादीगण संख्या 1 नारायणराम को उक्त भूमि जरिये बंटवाडा दिनांक 16.12.2010 के अनुसार प्राप्त हुई है इसलिए वादी का उक्त भूमि पर कब्जा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वादी ने उक्त पद मे जो वंशावली पेश की है उसे वादी स्वयं साबित करे। स्व. लाबुराम जी के सभी विधिक वारिसान ने स्व लाबुराम जी की भूमि का बंटवाड़ा दिनांक 16.12.2010 को कर लिया था। जिसकी जमाबन्दी नकल जवाब दावे के साथ संलग्न है। वादी का इस पद में यह लिखना गलत है। उक्त वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 02 का राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज होना चाहिये था। जबकि सही तथ्य यह है कि स्व. लाबुराम जी के पांच पुत्र पुकाराम, भाकरराम, नारायणराम, कानाराम, व जीयाराम थे व सभी पक्षकारान का स्व. लाबुराम की भूमि मे 1/5 वा हिस्सा था व उसी हिस्से के माफिक सभी पक्षकारान ने राजी खुशी बंटवाड़ा कर उक्त भूमि का मौके पर नाप चौक करवा कर तरमीम की कार्यवाही अलग से करवा दी गई थी। जिसकी जानकारी वादी को प्ररम्भ से ही रही थी। वादी ने उक्त वाद मात्र प्रतिवादीगण को तंग व परेसान करने की नियत से व अपने हिस्से से ज्यादा भूमि हड़प करने की नियत से प्रस्तुत किया है। वादी खसरा नम्बर 618/1 रकबा 16 बिस्वा व खसरा नम्बर 624 रकबा 4 बीघा की उक्त भूमि में कोई किसी प्रकार का 1/3 हिस्सा नहीं है। व न ही उक्त भूमि की खातैदारी घोषणा करवाने का कानूनन अधिकारी है। उक्त पद में लिखे अन्य वाक्यात मिथ्या व गलत होने से अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 01 ने जो बख्शीश नामा दिनांक 30.09.2016 को प्रतिवादीगण संख्या 02 के पक्ष में किया है जो कानुनी रूप से वैद्ध है, जिसको शुन्य

सहायक कलक्टर
उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

घोषित करने का अधिकार मात्र सिविल न्यायालय को ही प्राप्त है, इसलिये वादी का वाद इस आधार पर भी खारीज किये जाने योग्य है वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा है। जबकि मौके पर वादी का आज तक कोई कब्जा काश्त नही रहा है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 618/1 रकबा 16 बिस्वा व खसरा नम्बर 624 रकबा 4 बीघा की भूमि पारिवारीक बंटवाड़ा से प्रतिवादीगण संख्या 01 को प्राप्त हुई थी व प्रतिवादीगण संख्या 01 राजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि का मालिक होने से उक्त भूमि को प्रतिवादीगण संख्या 02 के पक्ष में बख्शीश की गई है। जिसमे प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 की सांठगांठ होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वादी ने उक्त वाद में सही तथ्यो को छुपा कर यह झुठा वाद पत्र पेश किया है, जबकि सही तथ्य यह है कि स्व. लाबुराम जी के पांच पुत्र पुकाराम, भाकरराम, नारायणराम, कानाराम, व जीयाराम जिनके नाम खसरा नम्बर 618 रकबा 7 बीघा 04 बिस्वा व खसरा नम्बर 619 रकबा 4 बीघा 02 बिस्वा व खसरा नम्बर 624 रकबा 4 बीघा 07 बिस्वा व खसरा नम्बर 625 रकबा 0 बीघा 13 बिस्वा कुल 04 खसरान कुल रकबा 23 बीघा 06 बिस्वा की भूमि ग्राम हरियढाणा की सरहद में स्थित थी। उक्त सम्पूर्ण भूमि का पुकाराम, भाकरराम, नारायणराम, कानाराम, व जीयाराम सभी पक्षकारान ने आपस मे राजीनामा से दिनांक 16.12.2010 को बंटवाड़ा कर लिया था। माफिक बंटवाड़ा म्युटेशन भरा गया जिसके म्युटेशन नम्बर 3136 दर्ज हुए जिसकी जानकारी वादी को भली भाती रही थी। फिर कुछ समय बाद पुकाराम का देहान्त हो गया तो पुकाराम के कोई पुत्र पुत्र पुत्री संतान नहीं होने से खसरा नम्बर 618/4 रकबा 16 बिस्वा व खसरा नम्बर 625 रकबा 4 बीघा की भूमि पर पुकाराम की पत्नी रूपादेवी के नाम फौतेदगी म्युटेशन दिनांक 09. 09.2013 को भरा गया था। फिर कुछ समय बाद रूपादेवी का देहान्त हो गया तो रूपादेवी के कोई पुत्र पुत्री संतान नही होने से खसरा नम्बर 618/4 रकबा 16 बिस्वा व खसरा नम्बर 625 रकबा 4 बीघा की भूमि पर रूपादेवी के स्थान पर भाकरराम, नारायणराम, कानाराम, व जीयाराम के नाम फौतेदगी म्युटेशन दिनांक 09.09.2013 को भरा गया था। फिर सभी पक्षकारान ने आपस में उक्त भूमि को बराबर करने की नियत से आपसी सहमती से भाकरराम, नारायणराम, कानाराम, व जीयाराम प्रत्येक का जो 1/20 वा हिस्सा था जो पुकाराम से प्राप्त हुआ था उसका बख्शीश वादी के पक्ष में कर दिया व नारायणराम ने अपना 1/5 वा हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 02 के पक्ष में खसरा नम्बर 618/1 रकबा 16 बिस्वा व खसरा नम्बर 624 रकबा 4 बीघा की भूमि बख्शीश कर दिया गया था। अब मौजुदा समय मे वादी व प्रतिवादीगण संख्या 02 के पास बराबर भूमि है। तो वादी के नियत में खोट आने व अधिक भूमि हड़पने के लिये वादी ने सही तथ्यो को छुपा कर यह वाद प्रस्तुत किया है जो प्रारम्भ से ही खारिज किये जाने योग्य है। वादी को उक्त वाद में कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है क्योकि वादी ने उक्त वाद क्लीन हेन्ड से प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थना वादी गलत होने से अस्वीकार है। वादी किसी

क कलक्टर
खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः दावा वादी मय खर्चा खारिज करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रतिवादीगण द्वारा काउण्टर वाद पेश किया जिसके तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 618/4 रकबा 16 बिस्वा व खसरा नम्बर 625 रकबा 4 बीघा कुल खसरान 02 कुल रकबा 4 बीघा व 16 बिस्वा भूमि स्थित है। जिसे आगे वादग्रस्त भूमि के नामा से सम्बोधित किया जायेगा। स्व. लाबुराम जी के पांच पुत्र पुकाराम, भाकरराम, नारायणराम, कानाराम, व जीयाराम जिनके नाम खसरा नम्बर 618 रकबा 7 बीघा 04 बिस्वा व खसरा नम्बर 619 रकबा 4 बीघा 02 बिस्वा व खसरा नम्बर 624 रकबा 4 बीघा 07 बिस्वा व खसरा नम्बर 625 रकबा 0 बीघा 13 बिस्वा कुल 04 खसरान कुल रकबा 23 बीघा 06 बिस्वा की भूमि ग्राम हरियढाणा की सरहद में स्थित थी। उक्त सम्पूर्ण भूमि का पुकाराम, भाकरराम, नारायणराम, कानाराम, व जीयाराम सभी पक्षकारान ने आपस मे राजीनामा से दिनांक 16.12.2010 को बंटवाड़ा कर लिया था। माफिक बंटवाड़ा म्युटेशन भरा गया जिसके म्युटेशन नम्बर 3136 दर्ज हुए जिसकी जानकारी वादी को भली भाती रही थी। फिर कुछ समय बाद पुकाराम का देहान्त हो गया तो पुकाराम के कोई पुत्र पुत्र पुत्री संतान नहीं होने से खसरा नम्बर 618/4 रकबा 16 बिस्वा व खसरा नम्बर 625 रकबा 4 बीघा की भूमि पर पुकाराम की पत्नी रूपादेवी के नाम फौतेदगी म्युटेशन दिनांक 09.09.2013 को भरा गया था। फिर कुछ समय बाद रूपादेवी का देहान्त हो गया तो रूपादेवी के कोई पुत्र पुत्री संतान नही होने से खसरा नम्बर 618/4 रकबा 16 बिस्वा व खसरा नम्बर 625 रकबा 4 बीघा की भूमि पर रूपादेवी के स्थान पर भाकरराम, नारायणराम, कानाराम, व जीयाराम के नाम फौतेदगी म्युटेशन दिनांक 09.09.2013 को भरा गया था। उक्त खसरा नम्बर 618/4 व खसरा नम्बर 625 की भूमि प्रतिवादीगण संख्या 02 रामनिवास की पुश्तैनी भूमि थी जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 02 का कब्जा काश्त चला आ रहा था। उक्त भूमि का भाकरराम, नारायणराम, कानाराम, व जीयाराम को यह जानकारी थी की उक्त भूमि पुश्तैनी थी जिस पर सभी वारीसान का बराबर समान हक व हिस्सा होते हुए मात्र वादी श्रवणलाल के पक्ष में बख्शीश नामा कर दिया गया जो पुश्तैनी भूमि होने से व कब्जे के अभाव में बख्शीश नामा शुन्य है। इस के कारण प्रतिवादीगण को वादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। वादी खसरा नम्बर 618/1 व खसरा नम्बर 624 जो बख्शीश नामे के जरिये प्रतिवादीगण संख्या 02 के पक्ष में कर दी गई है उसका वाद दायर करवा सकता है जो प्रतिवादीगण को भी खसरा नम्बर 618/4 व खसरा नम्बर 625 की भूमि जो बख्शीश नामे के जरिये वादी को प्राप्त हुई है उसका भी प्रतिवादीगण को सहखातेदार घोषित करवा कर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा करवाने हेतु उक्त काउण्टर क्लेम प्रस्तुत करना पड़. रहा है। काउटर क्लेम में वाद कारण दिनांक 19. 11.2015 को प्रतिवादीगण को उक्त वाद की नकले प्राप्त होने पर व

सहायक कलेक्टर
... खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

वादी के पक्ष में किये गये बख्शीश नामे की जानकारी प्राप्त होने पर बगुकाग हरीयाकाणा में पैदा हुआ है।

अतः काउण्टर वाद पेश कर प्रतिवादीगण की ओर से निवेदन है कि गाग हरियाकाणा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 618/4 रकबा 16 बिस्वा व खसरा नम्बर 625 रकबा 4 बीघा कुल खसरान 02 कुल रकबा 4 बीघा व 16 बिस्वा भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 02 को 1/40 वां हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादीगणो का नाम इन्द्राज करवाया जावें। व खसरा नम्बर 618/4 व खसरा नम्बर 625 की भूमि में प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में वादी द्वारा किसी प्रकार से दखलअन्दाजी उत्पन्न नहीं करें जरिये स्थाई निषेधाज्ञा हमेशा के वास्ते रोका जावें। व खसरा नम्बर 618/4 रकबा 16 बिस्वा व खसरा नम्बर 625 रकबा 4 की भूमि में बंटवाड़ा माप व सीमाकंन के आधार पर जारी कर पृथक से तरमीम की कार्यवाही कर पृथक से लगान कायम किये जाने के निर्देश जारी फरमावें। अन्य अनुतोष जो प्रतिवादीगण पाने के अधिकारी हो दिलाया जावें।

उपरोक्त अनवान के वाद में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जबावदावा मय काउण्टर वाद का जबाव वादीगण की ओर जवाब विशेष आपतियां इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में पक्षकारान के अभिवचन अनुसार वाद कारण निश्चियक रूप से वर्णित है एवं आज भी कायम है। वादग्रस्त भूमि वादी की पुश्तैनी सहखातेदारी की भूमि है। जिस पर वह बहैसियत सहखातेदार आज भी काबिज है। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रतिवादी नारायणराम को अपने 1/3 हिस्से से अधिक बख्शीश करने का अधिकार नहीं है। ऐसी दशा में वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में कानूनन अन्तरणकर्ता को अपने हिस्से से अधिक अन्तरण करने का कोई अधिकार नहीं है, न अन्तरिती को इसके आधार पर कोई अधिकार ही उत्पन्न होते है। कानूनन उक्त बस्तीरानामा शून्य है तथा वादी के अधिकारों के विरुद्ध बेअसर है। वादी को जिस व्यक्ति के विरुद्ध अनुतोष वांछित है महज वे ही चाद में आवश्यक पक्षकार है। कानूनन वादी को किसी तृतीय पक्ष के विरुद्ध उसकी इच्छा के विरुद्ध वाद लाने हेतु मजबूर नहीं किया जा सकता।

वादी का जबाबबुल जबाव के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि इस सम्बन्ध में वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में मौजूदा वाद में विवाद कारण विद्यमान है तथा वादी का वाद इस सम्बन्ध में विचाराधीन है। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में वादी की ओर से सम्पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर पेश किये जा चुके है। ऐसा कोई बंटवाडा बिना दिनांक 16.12.20210 को वादग्रस्त भूमि बाबत नहीं लिखा गया तथा मौजूदा वाद में महज वादी के पिता के खातेदारी की भूमि तथा जो जमीन वादी को पुश्तैनी भूमि है उसी के बाबत विवाद है कानूनन प्रतिवादी सं. 1 को अपने हिस्से से अधिक भूमि अन्नारण करने का अधिकार नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 ने स्वयं ने स्वीकार किया है कि वादग्रस्त जमीन उसके पूर्वजों की जमीन है जिसे उसने

सहायक कलक्टर
उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

बंटवाड़ा में हासिल किया है ऐसी दशा में स्वीकृत रूप से यह साबित है कि वादग्रस्त भूमि वादी की पुश्तैनी सहखातेदारी की भूमि है। जहां तक वादी के पक्ष में किये गये पंजीबद्ध बख्शीशनामा का तथ्य है इसके जरिये जो जमीन वादी ने हासिल की है वह उसकी स्वअर्जित जायदाद है। जिस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण को कोई वाद कारण अथवा अधिकार उत्पन्न नहीं होते है।

वादी की ओर जबाव काउण्टर वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भाकरराम वगैरा के द्वारा वादी के हक में बख्शीशनामें के जरिये जो जमीन अन्तरित की गई है वह वादी की स्वअर्जित जायदाद है इस संबंध में पंजीबद्ध दस्तावेज वादी के पक्ष में आज भी प्रभावी है। उक्त भूमि शुरू से ही भाकरराम वगैरा की जमीन रही है जिसे वे अन्तरित करने के अधिकारी थी। जिन्होने सभी प्रकार से समक्ष हाने से वैध ढंग से बख्शीशनामा वादी के हक में किया है जिस पर वादी काबिज है। जिसके सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। वाद में वादग्रस्त भूमि वादी की पुश्तैनी जायदाद है जिसके सम्बन्ध में प्रतिवादीगण को कोई काउण्टर वाद बाबत् वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है। प्रतिवादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता। अन्त में प्रार्थना प्रतिवादीगण है जिसमें वर्णित कोई अनुतोष पाने के प्रतिवादीगण कानूनन अधिकारी नहीं है।

अतः जबाव काउण्टर वाद व जबाव प्रारम्भिक आपतियां पेश कर निवेदन है कि काउण्टर वाद प्रतिवादीगण मय खर्चे खारिज किये जाकर वाद माफिक प्रार्थना वादी डिक्री किया जावे। प्रतिवादी सं. 6 प्रफोर्मा पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है।

वादीगण के वादपत्र व प्रतिवादीगण का जवाबदावा व काउन्टर क्लेम एवं जवाबुल जवाब व जवाब काउन्टर क्लेम के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई –

1. आया ग्राम हरियाढाणा स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 618/1 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 624 रकबा 4 बीघा कुल भूमि 4 बीघा 16 बिस्वा भूमि वादी की पुश्तैनी खातेदारी की कब्जासुदा है जिस संबंध में वादी स्वयं को इस भूमि के 1/3 हिस्से का सहखातेदार घोषित करवाकर अपने हिस्से की भूमि माप एवं सीमांकन के आधार पर अलग बंटवाडे में पाने का अधिकारी है ?

जिम्मे वादी

उपरोक्त तनकी सं. 1 को जिम्मे करने का भार वादी पर है। जिसके समर्थन में वादीगण ने साक्ष्य प्रदर्श पेश किये। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2042–2045 के अवलोकन करने पर पाया कि खसरा नंबर 619, खसरा नंबर 618, खसरा नंबर 624 व खसरा नंबर 625 पूर्व में खातेदार लाबूराम पुत्र राजूराम जाति राईका के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज थी। खातेदार लाबूराम के फौत होने पर उनके वारिसानों का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ जिसकी पुष्टि राजस्व जमाबंदी संवत् 2066–69 से होती है। उक्त

सहायक कलक्टर
उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

राजस्व जमाबंदी में लाल पैन से अंकित विवरण में नामा. सं. 3136 दिनांक 16.12.2010 के अनुसार लाबूराम के वारिसानों के मध्य बंटवाडा हुआ जिसका उल्लेख किया हुआ है। जिसके अनुसार प्रतिवादी सं. 1 नारायणराम पुत्र लाबूराम के हिस्से में खसरा नंबर 618/1 रकबा 0.16 तथा खसरा नंबर 624 रकबा 4.00 में रखी गयी। न्यायिक दृष्टान्त ***Angadi Chandranna Vs Shankar & ors 22 April 2025 Civil appeal no- 5401/2025*** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *अभिनिर्धारित किया गया कि जब एक बार संयुक्त परिवार की संपति का विधिपूर्वक विभाजन हो जाता है तो वह संयुक्त परिवार की संपति नहीं रह जाती और प्रत्येक पक्ष का हिस्सा उसकी स्व-अर्जित संपति बन जाता है।* बंटवाडे के बाद प्रतिवादी सं. 1 की संपति स्वअर्जित मानी जायेगी। स्वअर्जित संपति में पुत्र हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकारी प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार तनकी सं. 1 वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

2. आया वादी अपनी बंटसुदा भूमि के संबंध में वादी के कब्जे काश्त में दखल नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पाने का अधिकारी है?

जिम्मे वादी

उपरोक्त तनकी सं. 2 को जिम्मे करने का भार वादी पर है। जिम्मे वादी उक्त तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्ध मे तय होने जाने के कारण तनकी संख्या 2 वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

3. आया बख्शीशनामा बहक प्रतिवादी सं. 1 दिनांक 30.9.2015 वादी के हितों के विरूद्ध बेअसर व शून्य है।

जिम्मे वादी

उपरोक्त तनकी सं. 3 को जिम्मे करने का भार वादी पर है। वादग्रस्त प्रतिवादी सं. 1 को बंटवाडा के दौरान प्राप्त होने से उक्त वादग्रस्त आराजी उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त के अनुसार प्रतिवादी सं. 1 की स्वअर्जित संपति मानी जायेगी। अतः प्रतिवादी सं. 1 की स्वअर्जित होने से बख्शीश/बैचान करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त तनकी सं. 1 व 2 वादी के विरूद्ध तय हो जाने से तनकी सं. 3 भी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

4. आया बख्शीशनामा दिनांक 30.9.2015 को निरस्त करवाये बिना वादी का वाद कानूनन पोषणीय नहीं है?

जिम्मे प्रतिवादीगण

उपरोक्त तनकी सं. 4 को जिम्मे करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादी सं. 1 को प्राप्त वादग्रस्त आराजी नामा. सं. 3136 दिनांक 16.12.2010 के अनुसार बंटवाडा के तहत प्राप्त होने से अब वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी सं. 1 की स्वअर्जित संपति मानी जायेगी। प्रतिवादी सं. 1 अपने हिस्से की भूमि किसी को भी बख्शीश कर सकता है। बख्शीशनामा को निरस्त करने का अधिकार

क कलक्टर
खण्ड अधिकारी
बिलाडा

राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है अतः तनकी सं. 4 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है

5. आया वाद वादी पक्षकारों के असंयोजन के दोषपूर्ण है एवं पूर्व में बंटवाडा होने से वाद चलने काबिल नहीं है ?

जिम्मे प्रतिवादीगण

उपरोक्त तनकी सं. 5 को जिम्मे करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजात पेश नही किया जिससे प्रतीत हो कि वादग्रस्त आराजी में पक्षकार कौन होने चाहिए और कौन नहीं होने चाहिए। अतः तनकी सं. 5 प्रतिवादीगण द्वारा सांबित नहीं करने से तनकी सं. 5 प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

6. आया प्रतिवादी सं. 2 वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 618/4, 625 कुल रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा का स्वयं को 1/40 वें हिस्से का खातेदार घोषित करवा अपना हिस्सा भूमि अलग बंटवाडे में पाने का अधिकारी है ?

जिम्मे प्रतिवादीगण

उपरोक्त तनकी सं 6 को जिम्मे करने का भार प्रतिवादीगण पर है। उक्त तनकी सं. 6 से संबंधित कोई दस्तावेजात जवाबदावा या काउण्टर वाद के साथ पेश नही किया जिसमें प्रतिवादी सं. 2 का वादग्रस्त आराजी में 1/4 वां हिस्सा घोषित किया जायें। प्रतिवादी सं. 2 द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में कोई दस्तावेजात या न्यायिक दृष्टान्त पेश नहीं जिससे तनकी सं.6 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णीत की जा सकें। अतः तनकी सं. 6 प्रतिवादीगण द्वारा साबित नहीं करने से तनकी सं. 5 प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

7. अनुतोष ?

तनकी सं. 7 अनुतोष से संबंधित है।

वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। वादी की ओर श्रवणलाल पुत्र नारायणराम जाति देवासी द्वारा वादी साक्ष्य पेश किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया।

वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 से प्रदर्श 3 ग्राम हरियाढाणा आदि प्रदर्शित करवाये गये।

वादी अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टान्त पेश किये। न्यायिक दृष्टान्त भैरूलाल बनाम भगवती 2022(2) आर आर टी 1193 माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अभिनिर्धारित किया कि *राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955- धारा 88,53,188-वादीगण/अपीलाण्ट के पिता ने बालूराम जो कि लालूराम का पुत्र है, के पक्ष में एक वसीयत निष्पादित की-तर्क कि भूमि पैतृक है और 3/10 वें हिस्से की मांग की-वाद डिक्री किया-राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपील स्वीकार की और प्रकरण प्रतिप्रेषित किया-रिमाण्ड के बाद विचारण न्यायालय ने पक्षकारों का*

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

1/5-1/5 हिस्सा होना घोषित किया और खसरा सं. 6731, 6732 व 6733 के लिये वसीयत को प्रभावहीन होना घोषित किया-राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपील स्वीकार की और 13 खसरा नंबरों के लिये वाद डिक्री किया- आराजी सं. 6731, 6732, 6733 बालूराम के नाम वसीयत के आधार पर दर्ज है- भूमि क्योंकि पैतृक है, लालूराम, बालूराम के पक्ष में वसीयत निष्पादित करने हेतु हकदार नहीं था- निर्णीत, राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया तथा विचारण न्यायालय का निर्णय बहाल किया। उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त वादी के हस्तगत प्रकरण पर हुबहु चस्पा नहीं होता है क्योंकि उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त के प्रकरण में अनरजिस्टर्ड बंटवाडा होने से अमान्य किया किन्तु वादी के हस्तगत प्रकरण में बंटवाडा विधिवत हो रखा है जिसकी पुष्टि राजस्व जमाबंदी संवत् 2066-2069 से की गई। इसलिए उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त वादी के हस्तगत प्रकरण पर हुबहु चस्पा नहीं होता है।

इसी प्रकार प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टान्त पेश। न्यायिक दृष्टान्त मनोज शर्मा बनाम पंकज शर्मा 2025(2) आर आर टी 994 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-आदेश 7 नियम 11- हिन्दु उतराधिकार अधिनियम, 1956- धारा 8- वादपत्र को खारिज करने हेतु प्रार्थना पत्र खारिज किया-पुत्र/रेस्पोडेण्ट सं. 1 द्वारा पिता के जीवनकाल में विभाजन हेतु वाद- पिता के जीवनकाल के दौरान वाद सम्पति में रेस्पोडेण्टस सं. 1 को अधिकार नहीं है- निर्णीत, आदेश अपास्त किया तथा वाद खारिज किया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त वादी के हस्तगत प्रकरण में हुबहु चस्पा होता है।

उक्त पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज पक्षकारान के अभिवचन एवं उपलब्ध साक्ष्य अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद तथा प्रतिवादी सं. 2 का काउण्टर वाद बाबत् घोषणा,बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा के योग्य नहीं पाया जाता है, अतः वादी व प्रतिवादी द्वारा वाद साबित नहीं करने के कारण वादीगण का वाद तथा प्रतिवादीगण का काउण्टर वाद खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हों।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 7/10/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा व इजलास मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

वादी :- श्रवणलाल

बनाम

प्रतिवादीगण :- नारायणराम

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

राजस्व वाद संख्या :- 81/2015

निर्णय दिनांक :- 7/10/15

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरू हमारे व हाजरी श्री डी डी रामावत अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सं. 1 से 4 की ओर श्री धीरज चौधरी व श्री अशोक कुमार पटेल अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या- 5 सरकारी पैरोकार मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी व प्रतिवादी द्वारा वाद साबित नहीं करने के कारण वादीगण का वाद तथा प्रतिवादीगण का काउण्टर वाद खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हों।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् – खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस वर्श के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा